UPLK010140742021

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, लखनऊ**

**सत्र परीक्षण सं०-1606/2021**

उ०प्र० राज्य **बनाम** शत्रोहन कुमार गौतम व अन्य

मु०अ०सं०-736/2020
धारा-498 ए, 304 बी, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3/4 डी.पी. ऐक्ट
थाना-पी.जी.आई., लखनऊ

**दिनांक-07.02.2026**

**1.** पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण रामजानकी, जियालाल व शत्रोहन कुमार जेरे हिरासत उपस्थित। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित।

**2.** अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बी-21 अन्तर्गत धारा 91 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में कथित घटना के समय अभियुक्त की मौजूदगी घटनास्थल पर बतायी गयी है, जबकि अभियुक्त घटना के समय अपनी दुकान स्थित सालेह नगर, बंगला बाजार, लखनऊ पर था, जहाँ उसके मोबाइल नम्बर 7651903365 पर पीड़िता की मिस्ड कॉल थी तथा कॉल करके घटना की जानकारी दी गयी थी और वह पड़ोसी से दुकान बंद करने को कहकर शीघ्रता में अपने निवास गया था और अपने पिता जिया लाल को मो०नं०-9651068337 पर कॉल करके बुलाया था। विवेचक द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के मोबाइल की लोकेशन के सम्बंध में कोई साक्ष्य एकत्र करना नहीं बताया गया है। अभियुक्त द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में भी घटना के समय अपनी दुकान पर होना कहा गया है। उक्त सत्र परीक्षण आजीवन कारावास/10 वर्ष की अवधि से ज्यादा के कारावास से दण्डनीय है। अतः मो०नं०-7651903365 व 9651068337 के दिनांक 08.10.2020 के कॉल-डीटेल व लोकेशन चार्ट सम्बंधी प्रपत्र सम्बंधित सेवा प्रदाता कम्पनी के कार्यालय से तलब किये जाने की याचना की गयी।

**3.** अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा प्रार्थनापत्र पर मौखिक आपत्ति करते हुये कथन किया गया कि प्रकरण में सफाई साक्ष्य हो चुका है तथा पत्रावली बहस हेतु नियत है। इस स्तर पर प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

**4.** सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.12.2021 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये तथा दिनांक 07.01.2022 को पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत होने पर अभियोजन द्वारा 11 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया। दिनांक 01.11.2025 को अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हुआ, जिसके सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त तिथि को अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने तथा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन आदेश-पत्र पर किया गया। जिसके पश्चात दिनांक 19.11.2025 को अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य दिये जाने का कथन करने पर दिनांक 09.12.2025 को सफाई साक्ष्य हेतु नियत की गयी। उक्त तिथि पर सफाई साक्ष्य के रूप में डी.डब्लू.-1 व डी.डब्लू.-2 का साक्ष्य अंकित कर जिरह पूर्ण की गयी तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। धारा 91 दं०प्र०सं० का प्रयोग न्यायालय द्वारा तभी किया जा सकता है जब किसी दस्तावेज अथवा अभिलेख का तलब किया जाना न्यायिक निर्णय हेतु आवश्यक अथवा वांछनीय हो। वर्तमान प्रकरण में

अभियोजन साक्ष्य तथा अभियुक्तगण का सफाई साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। अभियुक्त द्वारा मोबाइल लोकेशन सम्बन्धी तथ्य अपने बचाव में पूर्व से ही ज्ञात थे, किन्तु न तो अभियोजन साक्ष्य के दौरान और न ही सफाई साक्ष्य के स्तर पर इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। इस स्तर पर मोबाइल कॉल-डिटेल एवं लोकेशन चार्ट तलब किये जाने की अनुमति प्रदान करना न केवल कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न करेगा, बल्कि यह अभियुक्त को अपने बचाव में कमियों की पूर्ति का अवसर प्रदान करने के समान होगा, जो विधि द्वारा अनुमन्य नहीं है। अन्यथा भी प्रकरण में घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 08.10.2020 की बतायी गयी है तथा भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक सं०-20-271/2010 AS-I (Vol.-III) दिनांकित 21.12.2021 में टेलीकॉम सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क पर हुए संचार के विस्तृत रिकॉर्ड को कम से कम दो वर्ष तक सुरक्षित रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं, अतः वर्तमान में घटना के समय के सी.डी.आर. सम्बंधित टेलीकॉम सेवा प्रदाता के पास उपलब्ध होना सम्भावित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बी-21, अन्तर्गत धारा 91 दं०प्र०सं०, इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**आदेश**

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बी-21 अन्तर्गत धारा 91 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक **17.02.2026** को पेश हो।

**सत्र न्यायाधीश,**
**लखनऊ**

Digitally signed by Malkhan Singh
Date: 2026.02.13 17:42:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court